

# न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 10/2024

ग्राम पंचायत कायमपुरा (पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण) जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत कायमपुरा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर

.....निगरानीकार

बनाम

श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री मुरार दान, जाति चारण, निवासी ग्राम कायमपुरा, ग्राम पंचायत कायमपुरा, पंचायत समिति (पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण), जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज  
अधिनियम 1996

उपस्थित :- श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकार की ओर से।

-: आदेश :-

दिनांक - 04.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि सरपंच, ग्राम पंचायत कायमपुरा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर संकल्प संख्या 02 दिनांक 06.02.2023 की अनुपालना में ग्राम कायमपुरा, ग्राम पंचायत कायमपुरा, पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर के आबादी भूमि में से श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री मुरार दान, जाति चारण, निवासी ग्राम कायमपुरा, ग्राम पंचायत कायमपुरा, पंचायत समिति (पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण), जिला अजमेर के पक्ष में दिनांक 08.02.2023 को आबादी भूमि का पट्टा संख्या 42 क्षेत्रफल 108.33 वर्ग गज पूर्व का कब्जा मानते हुए जारी कर दिया। निगरानीकार ने अप्रार्थी के पक्ष में जारी किए गये आक्षेपीय पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध मानते हुए यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की है। निगरानी पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने वकील निगरानीकार की एकपक्षीय बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत कायमपुरा में पट्टा प्राप्त हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पुश्तैनी काबिज होने पर पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों एवं विधि के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया। उन्होंने आगे कथन किया कि अप्रार्थी को पट्टा जारी करने के लगभग दो वर्ष पश्चात ग्राम पंचायत के संज्ञान में आया कि सीमांकन की पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण पंचायत की आबादी भूमि से सटी खातेदारी भूमि का कुछ भू-भाग विवादित पट्टे



अपर कलक्टर  
अजमेर

की सीमा में शामिल हो गया। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी एवं गांव के आस पड़ोस के लोगों द्वारा अवगत कराने पर प्रार्थी द्वारा प्रथम दृष्टया जांच करने पर शिकायत को सही मानते हुए उक्त पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही का प्रस्ताव पारित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी आक्षेपीय पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि से सटी हुई खातेदारी भूमि का कुछ भू-भाग पट्टे की सीमाओं में आने से नियमों के विपरीत होने के कारण जनहित में नियमानुसार निरस्त किया जाना अति-आवश्यक है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि विवादित पट्टा अवैध व शून्य होने के कारण निगरानी याचिका स्वीकार कर ग्राम पंचायत कायमपुरा द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा संख्या 42 दिनांक 03.02.2023 निरस्त किया जावे।

हमने वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन की पर्याप्त जानकारी के अभाव में ग्राम पंचायत कायमपुरा की आबादी भूमि से सटी किसी अन्य खातेदार की खातेदारी भूमि का कुछ भू-भाग आक्षेपीय पट्टे की सीमा में सम्मिलित हो गया है। इस सम्बन्ध में जांच की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही का प्रस्ताव पारित किये जाने के तथ्य भी पत्रावली पर प्रकट आये हैं। ग्राम पंचायत कायमपुरा की आबादी भूमि से सटी हुई खातेदारी भूमि का कुछ भू-भाग आक्षेपीय पट्टे की सीमा में आने के कारण जारी पट्टा नियमों के विपरीत है एवं वर्णित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल होकर विधि विरुद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी के पक्ष में जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 42 दिनांक 08.02.2023 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



(ज्योति ककवाणी)  
अपर कलेक्टर, अजमेर